

## जिला सवाई माधोपुर

गुरुवार

दिनांक :- 12.10.2017

### शांति भंग करने के 05 आरोपी गिरफ्तार :-

गोपीचन्द उप निरीक्षक थाना कोतवाली स0मा0 ने श्री कमलेश पुत्र श्री रामकरण जाति मीना निवासी खवा उम्र 41 साल निवासी थाना कोतवाली स0मा0 को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार घनश्याम सिंह हैड ने राजेश पुत्र श्री बत्तीलाल जाति मोगिया उम्र 24 साल निवासी भंवरकी 2. सुरेश पुत्र सुभान उम्र 19 साल जाति मोगिया निवासी सुन्दरी थाना बाटोदाको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हरिलाल हैड कानि0 थाना रवोजना डुंगर ने मोहन लाल पुत्र ओमप्रकाश जाति बैरवा उम्र 19 साल निवासी सवाईगंज थाना रवाजना डुंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हनुमान प्रसाद हैड कानि0 थाना बाटोदा ने महेश पुत्र श्री गजानन्द शर्मा उम्र 22 साल निवासी पिपलाई थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

### ध्वनि प्रदूषण का आरोपी गिरफ्तार :-

कस्तुर चन्द उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना रवोजना डुंगर ने राजेन्द्र कुमार मीना पुत्र सीताराम जाति मीना उम्र 25 साल निवासी विलोपा थाना चौथ का बरवाडा को ध्वनि प्रदूषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी रवोजना चौड के पास ट्रैक्टर पर तेज आवाज में डेक मशीन बजाता हुआ जा रहा था। जिस पर आरोपी को मय डेक मशीन, स्पीकर व मेमोरी कार्ड के ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मु0न0 183/17 u/s 4/6 में गिरफ्तार किया गया।

### दर्ज मुकदमात के 03 आरोपी गिरफ्तार :-

प्रेमबहादुर सिंह पु0नि0 थानाधिकारी थाना कोतवाली ने दर्ज मुकदमात का आरोपी साहिद पुत्र श्री जहूर खान जाति मुसलमान निवासी राजबाग को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री भगवान दास पुत्र श्री बजरंग लाल माली निवासी नीम चौकी शहर ने दिनांक 22.07.17 को मु0न0 0411/17 धारा 341, 323, 452, 427 ता0ह0 में थाना कोतवाली पर घर में घुसकर मारपीट की प्राथमिकी दर्ज करायी थी

इस प्रकार रमेशपाल स0उ0नि0 थाना खण्डार ने दर्ज मुकदमात का आरोपी रामलाल पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर निवासी छाण थाना खण्डार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री कैलाश माली पुत्र श्री श्योजीराम माली निवासी छाण ने दिनांक 25.05.17 को मु0न0:-93/17 u/s 387 ipc में थाना खण्डार पर जान से मारने की धमकी की प्राथमिकी दर्ज करायी थी

इस प्रकार मनीष कुमार हैड कानि0 थाना चौथ का बरवाडा ने दर्ज मुकदमात का आरोपी देवराज पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर उम्र 18 साल नि0 नीमोद थाना बौला को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री कैलाश सैनी निवासी बौली ने दिनांक 10.10.17 को मु0न0:-195/17 u/s 397 ipc में थाना चौथ का बरवाडा पर मोटर साईकिल चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

